उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 अंक 15-16 संयुक्तांक 1-15 अगस्त 2022- 16-31 अगस्त 2022 ₹ 20/-

एएमयू के पाठ्यक्रम से दो चरमपंथी इस्लामिक विद्वानों की पुस्तकें खारिज

- कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत
- अयमान अल-जवाहिरी की मौत का दावा
- तुर्की द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा
- भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल दारूल उलूम देवबंद में

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

एएमयू के पाठ्यक्रम से दो चरमपंथी इस्लामिक विद्वानों की पुस्तकें खारिज 04
कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत 07
हैदराबाद में रसूल की तौहीन का नया मामला 10
बिलकिस बानो बलात्कार कांड के आरोपियों की रिहाई से मचा बवाल 12
बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक 15

विश्व

अल-जवाहिरी की मौत का दावा 18
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के घर पर छापा 20
अमेरिका में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला 22
फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की मंजूरी 23
मुहर्रम के जुलूस पर सुन्नियों का हमला 24

पश्चिम एशिया

तुर्की द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा 25
सूडान में सैनिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन 26
ईरान में जासूसी के आरोप में बहाई गिरफ्तार 26
सऊदी अरब और यूएई को आधुनिक मिसाइल रोधी तंत्र की बिक्री 26
इराक में गृहयुद्ध की शुरुआत 27

अन्य

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल दारूल उलूम देवबंद में 29
जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अमीर का निधन 29
हैदराबादी लड़के से प्रेम पाकिस्तानी लड़की को महंगा पड़ा 30
आईएएस अधिकारी शाह फैसल प्रशासकीय सेवा में वापस 30
असम में देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र होने के कारण मदरसा ध्वस्त 30

सारांश

अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को अमेरिका के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने काबुल में मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि अमेरिकी नागरिकों के खून से होली खेलने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पूर्व अमेरिका के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (11 सितंबर 2001) पर हमले के आरोपी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एब्टाबाद नगर में विशेष कार्रवाई द्वारा मार गिराया था। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर हमला करके अंतरराष्ट्रीय नियमों और दोहा समझौते का उल्लंघन किया है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि तालिबान ने हमेशा अमेरिका के साथ हुए दोहा शांति समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते में तालिबान ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह किसी भी इस्लामिक आतंकवादी को अपनी भूमि पर शरण नहीं देगा, मगर इसके बावजूद उसने सबसे कुख्यात आतंकवादी अल-जवाहिरी को काबुल में शरण दी। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका तालिबान पर किसी तरह का भरोसा नहीं कर सकता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के इस्लामिक अध्ययन विभाग ने बी.ए. और एम.ए. के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले कुख्यात चरमपंथी मौलाना अबुल आला मौदूदी और मिस्र के सैयद कुतुब की कृतियों को पाठ्यक्रम से खारिज कर दिया है। अजीब बात यह है इस्लामिक आतंकवाद और चरमपंथ के इन दोनों जनकों द्वारा लिखित पुस्तकों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गत 50 वर्षों से पढ़ाया जा रहा था। हाल ही में देश के 25 शिक्षाविदों ने सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय के छात्रों को इन दोनों चरमपंथियों की पुस्तकों को पढ़ाए जाने की ओर उनका ध्यान दिलाया था।

विश्वविख्यात अंग्रेजी लेखक सलमान रुश्दी ने 1988 में एक उपन्यास 'द सैटेनिक वर्सेज' लिखा था, जिसे मुस्लिम चरमपंथियों ने हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करार दिया था और ईरान के धार्मिक प्रमुख अयातुल्लाह रूहोल्लाह खोमैनी ने उनके कत्ल का फतवा जारी किया था तथा रुश्दी की हत्या करने वाले को 30 लाख डॉलर ईनाम देने की घोषणा की थी। तब से सलमान रुश्दी विश्व के विभिन्न देशों में छिपकर जीवन बिता रहे थे। पिछले दिनों जब वे न्यूयॉर्क में एक सेमिनार में भाषण देने वाले थे तो उन पर अमेरिका में रहने वाले एक ईरानी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। अभी तक उनकी जान खतरे में बताई जाती है। अमेरिकी अदालत ने आक्रमणकारी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।

भारत में भी पैगम्बर-ए-इस्लाम के कथित अपमान का जो विवाद खड़ा हुआ था वह शांत नहीं हो रहा है। हाल ही में हैदराबाद के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करके कथित रूप से पैगम्बर-ए-इस्लाम के खिलाफ एक बयान दिया। इसके बाद वहां के मुसलमानों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। पूरे तेलंगाना में हड़ताल और उग्र प्रदर्शन हुए। पुलिस ने राजा सिंह के कथित वीडियो बयान पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन उग्र प्रदर्शनों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया कि वह टी. राजा सिंह के वायरल वीडियो से सहमत नहीं है और वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। इसके साथ ही राजा सिंह को भाजपा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। अदालत ने राजा सिंह को पहले जमानत पर रिहा कर दिया था, मगर जब राजा सिंह की जमानत के खिलाफ मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन शुरू किया तो उनके दबाव के कारण तेलंगाना सरकार ने राजा सिंह को सुरक्षा अधिनियम के तहत पुनः गिरफ्तार कर लिया।

एएमयू के पाठ्यक्रम से दो चरमपंथी इस्लामिक विद्वानों की पुस्तकें खारिज

समाचारपत्र 'द हिंदू' (3 अगस्त) के अनुसार 27 जुलाई 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर समेत 25 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस बात पर चिंता प्रकट की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक अध्ययन विभाग में देश विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। इसके चार दिन बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया कि दो चरमपंथी इस्लामिक चिंतकों की कृतियों को भविष्य में इस्लामिक अध्ययन विभाग में नहीं पढ़ाया जाएगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने इस बात को पुष्टि की है कि भविष्य के किसी भी विवाद से बचने के लिए इस्लामिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष ने यह फैसला किया है कि भविष्य में मौलाना अबुल आला मौदूदी और मिस्र के इस्लामिक चरमपंथी सैयद कुतुब की कृतियो को विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। पीरजादा ने कहा कि य दोनों पुस्तकें इस्लामिक अध्ययन विभाग के बी.ए. और एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल थीं। कुछ लोगों की शिकायत के बाद इस मामले पर विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि भविष्य में किसी भी विवाद में उलझने की बजाय इन दोनों को पाठ्यक्रम से खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि इन दोनों पुस्तकों में कोई आपत्तिजनक अंश शामिल नहीं था और गत 50 वर्षों से इन्हें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा था।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने इस्लामिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद इस्माइल को 31 जुलाई को यह निर्देश दिया था कि भविष्य में मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब की पुस्तकों को विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि भले ही हम मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब से सहमत न हों, मगर छात्रों के लिए वे अब भी महत्त्वपूर्ण हैं।

जानकार सूत्रों के अनुसार देश के 25 शिक्षाविद, जिनमें मधु किश्वर भी शामिल हैं, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें

उनका ध्यान इस ओर दिलाया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा से संबंधित पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इसलिए इन्हें पाठ्यक्रम से खारिज किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि इस पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस पत्र में यह भी कहा गया था कि मौलाना मौदूदी जैसे चरमपंथी की पुस्तकों को आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द के साथ-साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जा रहा है। इस पर इस मामले में उच्च स्तर पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था।

इससे पूर्व 2018 में अलीगढ़ के सांसद ने यह शिकायत की थी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की यूनियन हॉल में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र लगा हुआ है। इस पर विश्वविद्यालय की ओर से यह सफाई दी गई थी कि जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के आजीवन सदस्य थे और इसी हैसियत से उनका चित्र छात्र यूनियन के कार्यालय में लगा हुआ है। यह चित्र अभी तक वहां बरकरार है।

टिप्पणी: क्योंकि अधिकांश देशवासी इन दोनों इस्लामिक चरमपंथी चिंतकों के बारे में नहीं जानते, इसलिए संक्षिप्त में इनके बारे में कुछ प्रकाश डालना बेहद जरूरी है, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि इन दोनों की विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के कितने खिलाफ हैं। मौलाना अबुल आला मौदूदी की गिनती सबसे विवादित और चरमपंथी इस्लामिक विद्वानों में होती है। वे लोकतंत्र को इस्लामिक शरिया के खिलाफ मानते थे और इस देश में लोकतंत्र की बजाय इस्लामिक शरिया व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। मौलाना मौदूदी ने 1925 में पठानकोट में भारत पाक उपमहाद्वीप के सबसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी की नींव रखी थी। पाकिस्तान के आंदोलन में जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं का महत्त्वपूर्ण योगदान था और इसके समर्थकों ने देश के विभाजन और हिंदू-सिख विरोधी दंगों में मुख्य भूमिका निभाई थी। देश के विभाजन के समय मौलाना मौदूदी अपने कुछ सहयोगियों के साथ पाकिस्तान चले गए। जबकि उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रहा। जमात-ए-इस्लामी हिंद का पहला अमीर अबुल लईस इस्लाही नदवी को बनाया गया और महासचिव मौलाना मोहम्मद युसूफ बने। इस संगठन का मुख्यालय पहले रामपुर में था। बाद में इसे दिल्ली लाया गया। पहले इसका मुख्यालय जामा मस्जिद के समीप सुईवालान में था। बाद में ओखला में जमात-ए-इस्लामी का एक विशाल परिसर बनाया गया, जिसे दावत नगर का नाम दिया गया। तीन वर्ष पूर्व जमात-ए-इस्लामी के मुख्यालय को दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया।

जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ देशव्यापी दंगों में बढ़-चढ़कर भाग लिया था। ये दंगे 1 फरवरी 1953 से लेकर 13 मई 1953 तक जारी रहे और इसमें डेढ़ से दो लाख अहमदी मारे गए। इस

दौरान पूरे पंजाब को सेना के हवाले करते हुए वहां पर तीन महीने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। इन दंगों की जांच के लिए पाकिस्तान सरकार ने मुनीर आयोग का गठन किया, जिसने मौलाना मौदूदी सहित जमात-ए-इस्लामी के 27 नेताओं को फांसी की सजा सुनाई, मगर बाद में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया-उल-हक ने उनकी फांसी की सजा को माफ करते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया। 1974 में मजलिस-ए-अहरार-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी ने फिर आंदोलन चलाया आर जगह-जगह अहमदियों पर हमले किए गए। इसके बाद तत्कालीन जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एक कानून पारित करके अहमदियों को गैर-मुसलमान घोषित किया। 1984 में सैनिक तानाशाह जिया-उल-हक ने एक अध्यादेश जारी करके पूरे पाकिस्तान में अहमदियों के कुरान पढ़ने और अहमदी संप्रदाय के प्रचार करने पर रोक लगा दी और इस अध्यादेश में यह व्यवस्था की कि जो अहमदी कुरान पढ़ेगा या अहमदी संप्रदाय का प्रचार करेगा उसे उम्रकैद की सजा होगी। इसके बाद अहमदी संप्रदाय के तत्कालीन प्रमुख मिर्जा ताहिर अहमद अपनी जान बचाकर इंगलैंड चले गए।

मौलाना मौदूदी को मुस्लिम विश्व के बड़े चरमपंथी विद्वानों में गिना जाता है। 1979 में उन्हें सऊदी अरब के 'शाह फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' से नवाजा गया। इस्लामिक विश्व में इस्लाम की श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले मौलाना मौदूदी पहले व्यक्ति थे। उनके प्रयासों से मदीना में इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित हुई। वे विश्व भर में दूसरे व्यक्ति थे, जिनकी नमाज-ए-जनाजा काबा में अदा की गई। मौलाना मौदूदी का जन्म पुरानी रियासत हैदराबाद के औरंगाबाद नगर में हुआ। वे एक वकील अहमद हसन के तीसरे पुत्र थे। मौलाना मौदूदी को सर्वोच्च संगठनकर्ता, इस्लामिक चरमपंथी चिंतक, पत्रकार और विश्वविख्यात लेखक माना जाता है। उन्होंने इस्लाम से संबंधित दो दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वे संपूर्ण विश्व में इस्लामिक शासन लागू करने के समर्थक थे। उनका यह भी कहना था कि पश्चिमी डेमोक्रेटिक व्यवस्था इस्लाम विरोधी है, इसलिए विश्व भर में इस्लामिक शासन का विस्तार और प्रसार करने के लिए शरा और जिहाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौलाना मौदूदी का संबंध दो दर्जन से अधिक इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से बताया जाता है। जमात-ए-इस्लामी आज भी भारत में सक्रिय है। हालांकि इससे संबंधित छात्र संगठन स्टुडेंट इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) सरकार द्वारा प्रतिबंधित है।

जहां तक सैयद कुतुब का संबंध है। उनका पुरा नाम सैयद इब्राहिम हुसैन कुतुब था। वे 1906 में मिस्र के काहिरा में पैदा हुए थे। उन्हें इस्लामिक चरमपंथी विचारधारा का जनक माना जाता है। 1950 और 1960 के दशक में सैयद कुतुब इस्लामिक जगत के सबसे खतरनाक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के अग्रणी नेताओं में से एक थे। 1966 में उन्हें मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कुतुब को सलाफी जिहादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। विश्व भर के सबसे खूंखार इस्लामिक जिहादी संगठन अल-कायदा और आईएसआईएस के लिए कुतुब की विचारधारा प्रेरणा स्त्रोत रही है। आईएसआईएस का स्वयंभू खलीफा अबु बकर अल-बगदादी हो या ओसामा बिन लादेन या फिर अल-जवाहिरी सभी कुतुब को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानते थे। कुतुब को अरब जगत के सबसे खतरनाक लोगों में माना जाता है। उनकी विचारधारा ईसाईयों, यहूदियों और पश्चिमी लोकतंत्र को इस्लाम का दुश्मन मानती है और उनका लक्ष्य यहूदियों और ईसाईयों को समाप्त करके विश्व भर में इस्लाम का जिहादी शासन

स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे जिहाद और हिंसा को अनिवार्य मानते हैं। सैयद कुतुब ने 64 पुस्तकें लिखी हैं, जो जिहादी विचारधारा की नींव मानी जाती हैं। कुतुब को हालांकि फांसी दी जा चुकी है, मगर विश्व भर में इस्लामिक आतंकवाद की ज्वाला भड़काने वाले खूंखार लोग आज भी कुतुब की विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं। अधिकांश अरब देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संस्था प्रतिबंधित है, मगर इसके बावजूद इसके जिहादी चिंतन से प्रेरणा पाने वाले सभी जिहादी संगठनों के तार इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं।

कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ खुली बगावत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में खुला विद्रोह हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद सहित अनेक महत्त्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पांच पृष्ठों का एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नई पार्टी बनाने का संकेत दिया है।

इंकलाब (27 अगस्त) के अनुसार गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि 2013 में जब से उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है उन्होंने कांग्रेस की सभी संगठनात्मक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी नाम मात्र की अध्यक्ष हैं और सभी महत्त्वपूर्ण फैसले सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके सुरक्षा गार्ड और पीए भी ले रहे हैं। इस समय भारत जोड़ों यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद कई वर्षों से कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे और वे असंतुष्ट नेताओं के 'जी-23' ग्रुप में शामिल थे, जो कांग्रेस में परिवर्तन करने की मांग निरंतर करता आ रहा है। इससे पूर्व कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भाजपा का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी है तो ऐसे नाजुक मौके

पर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजाद द्वारा लगाए गए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि गत 42 वषों से वे हमेशा कांग्रेस में महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद वे इस तरह के आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के एक अन्य असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है।

रोजनामा सहारा (1 सितंबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ कांग्रेसो नेता गुलाम अहमद मीर ने आरोप लगाया है कि गुलाम नबी आजाद ने जो कुछ किया है वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए किया है। उन्होंने आजाद को अवसरवादी और सत्ता का भूखा बताया है और कहा है कि पिछले दो वर्षों से आजाद भाजपा के नेताओं के इशारे पर नाच रहे हैं।

रोजनामा सहारा (29 अगस्त) के अनुसार गुलाम नबी आजाद के बाद तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्य सभा के पूर्व सांसद एम.ए. खान ने भी कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने अपने पांच पृष्ठ के त्यागपत्र में राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया है।

रोजनामा सहारा (28 अगस्त) के अनुसार जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के 64 प्रमुख पदाधिकारियों ने कांग्रेस से एक साथ त्यागपत्र देने की घोषणा की है। इनमें से कई पूर्व विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। त्यागपत्र देने वाले नेताओं ने आजाद की नई पार्टी में शामिल होने का भी संकेत दिया है। जिन प्रमुख लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है उनमें अब्दुल हमीद वानी, मनोहर लाल शर्मा, गुरुराम, बलवान सिंह और पूर्व मंत्री ताराचंद शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (29 अगस्त) के अनुसार गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल फैसला था। उन्होंने इसके लिए 50 वर्षों तक दिन-रात काम किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार त्यागपत्र लिखा और उसे फाड़ दिया। त्यागपत्र के बाद दो रात तक मैं सो नहीं पाया।

आजाद के त्यागपत्र पर टिप्पणी करते हुए **इंकलाब** (28 अगस्त) ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद काफी समय से कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस में नहीं थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अगर कुछ दिया है तो बहुत कुछ हासिल भी किया है। जब इतने पद लेने के बाद भी शिकायत होती है तो मामला समझ में नहीं आता। समाचारपत्र ने कहा है कि हम राहुल गांधी का समर्थन करना नहीं चाहते, मगर इन वरिष्ठ नेताओं को यह जरूर कहना चाहते हैं कि यह समय नई पीढ़ी को अवसर देन का है और उनका मार्गदर्शन करने का है। जब आजाद साहब के त्यागपत्र की चर्चा हुई तो कई लोगों को याद आ गया कि राज्य सभा की सदस्यता से उनके सेवानिवृत्त होन के समय प्रधानमंत्री ने उनकी काफी तारीफ की थी और उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो क्या इन आंसुओं और त्यागपत्र के बीच कोई संबंध है? इसे आने वाला समय ही बताएगा।

औरंगाबाद टाइम्स (30 अगस्त) के अनुसार गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की मानवता की तारीफ की है और कहा है कि राहुल गांधी के नारे 'चौकीदार चोर है' के बाद कांग्रेस में दरार पड़ी है। राज्य सभा के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आजाद की प्रशंसा की थी उससे यह संकेत मिलता था कि इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है।

सियासत (29 अगस्त) के अनुसार जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि अगर 370 धारा को रद्द करने में किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका है तो वह गुलाम नबी आजाद की है। कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपने वाला मोदी नहीं बल्कि गुलाम

नबी आजाद हैं। आजाद आज कह रहे हैं कि वे जम्मू-कश्मीर की पुरानी स्थिति को वापस लाएंगे, मगर जब वे राज्य सभा में विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने धारा 370 को रद्द करने के खिलाफ कोई प्रयास नहीं किया। अब लोगों को पता चला है कि 2019 में गुलाम नबी आजाद ने सरकार से सौदा किया था। 5 अगस्त 2019 को जब राज्य सभा में धारा 370 को रद्द करने के लिए विधेयक पर चर्चा हुई थी तो भाजपा का बहुमत नहीं था। लेकिन इस विधेयक के खिलाफ वोट नहीं पड़े। अल्ताफ ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर विधेयक को पास करवाया और आज वे कश्मीरियों के हमदर्द बने हुए हैं।

रोजनामा सहारा (27 अगस्त) ने अपने संपादकीय में गुलाम नबी आजाद को अवसरवादी नेता बताया है और कहा है कि उन्होंने अपने अवसरवाद का प्रमाण देते हुए राहुल गांधी को अपना निशाना बनाया है। संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर पहुंचा दिया है, इसलिए वे त्यागपत्र दे रहे हैं। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इज्जत दी थी। वे कई बार केंद्र में मंत्री रहे और राज्य सभा में उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। हैरानी की बात है कि इसके बावजूद उन्होंने इज्जत की तलाश में पार्टी छोड़ दी। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के दूसरे दिन ही गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र से इस चर्चा को बल मिलती है कि वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि वे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। उनके इस फैसले से निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा। हो सकता है कि इसकी कीमत के तौर पर उन्हें भाजपा कोई कुर्सी पेश कर दे, मगर जिस इज्जत की तलाश में उन्होंने कांग्रेस का दामन झटका है वह इज्जत अब उन्हें कहीं नहीं मिल सकती।

अवधनामा (28 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुलाम नबी के पार्टी छोड़ने के संकेत तो उसी समय मिलने लगे थे जब प्रधानमंत्री उनके समर्थन और सहानुभूति में राज्य सभा में खुलकर मैदान में आ गए थे। उन्होंने संकेत दिया है कि वे जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना रहे हं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के समर्थन के बिना आजाद के लिए अपने वजूद को बचाना संभव नहीं होगा।

सियासत (22 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कांग्रेस में बढ़ते हुए मतभेदों पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को एक वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

सालार (27 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुलाम नबी काफी दिनों से कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे थे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। हैरानी की बात यह है कि आजाद ने राहुल गांधी को उस समय निशाना बनाया है जब वे मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में जन जागरण अभियान चला रह हैं। कांग्रेस में एकता और मजबूती लाने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस हाईकमान गुलाम नबी आजाद के शब्दों पर बारिकी से गौर करे और अगर उनके आरोपों में कुछ दम है तो वह कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचों को मजबत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

हैदराबाद में रसूल की तौहीन का नया मामला

इत्तेमाद (24 अगस्त) के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अनेक हिस्सों में मुसलमानों ने जबर्दस्त उग्र प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करके कथित रूप से पैगम्बर-ए-इस्लाम के खिलाफ एक बयान दिया। इन प्रदर्शनों के बाद भाजपा विधायक टी. राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें अदालत ने जमानत दे दी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ फिर से राज्य भर में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। हैदराबाद के सभी पुलिस थानों पर मुसलमानों की उत्तेजक भीड़ ने प्रदर्शन किया और गुस्ताख-ए-रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राजा सिंह के विवादित बयान को हटा दिया। ऑल इंडिया मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजा सिंह के बयान की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा जानबूझकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर आघात कर रही है और वह देश के सामाजिक ताने-बाने को तबाह करना चाहती है। हैदराबाद में इस बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए और पूरे नगर में हड़ताल रही। मुस्लिम नेताओं ने यह चेतावनी दी कि अगर गुस्ताख-ए-रसूल राजा सिंह को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। राजा सिंह द्वारा पैगम्बर की तौहीन से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है और कहा है कि इस तरह की हरकत से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। तेलंगाना के अनेक थानों में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।

इत्तेमाद (26 अगस्त) के अनुसार सिटी पुलिस ने राजा सिंह को पी.डी. एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्हें चरलापल्ली जेल भेज दिया गया। राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर में कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के पुतले जलाए और मोअज्जम जाही मार्केट के बाहर सड़क पर धरना देकर

चौराहे पर यातायात को रोकने का प्रयास किया। सिटी पुलिस की ओर से राजा सिंह के मकान पर सी.आर.पीसी. की धारा 41 का नोटिस लगाया गया है। पुलिस ने अदालत में जो विवरण पेश किया है, उसमें राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया है और कहा है कि टी. राजा सिंह पहले भी सांप्रदायिकता की ज्वाला भड़काने वाले भाषण देते रहे हैं।

राजा सिंह ने 22 अगस्त को एक यूट्यूब चैनल 'श्रीराम चैनल तेलंगाना' पर पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया था, जिससे न सिर्फ मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि शांति व्यवस्था भी भंग हुई है। पुलिस ने राजा सिंह के बयान से संबंधित वीडियो को वायरल करने पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि जो व्यक्ति इसे वायरल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार 2004 से लेकर अब तक राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना के विभिन्न थानों में 101 केस दर्ज है और वे सांप्रदायिक तनाव की 18 घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पी.डी. एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है और उसकी जमानत नहीं हो सकती। राजा सिंह तेलंगाना क पहल विधायक हैं, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

सियासत (26 अगस्त) के अनुसार राजा सिंह को तकनीकी आधार पर पहले मामले में अदालत द्वारा छोडा गया था। राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने यह दावा किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राजा सिंह को सी.आर.पी.सी. की धारा 41 के तहत नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किया गया है और यह गैरकानूनी है। वकील ने कहा था कि एक जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करने के लिए यह नोटिस जरूरी होता है। इसके बाद अदालत ने राजा सिंह को 20 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया और उन्हें यह चेतावनी भी दी कि वे पुनः कोई ऐसी हरकत न करें, जिससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

इत्तेमाद (24 अगस्त) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी, तेलंगाना के अमीर मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आरोप लगाया है कि भाजपा जानबूझकर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा कर रही है। उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि राजा सिंह के तेलंगाना में रहने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऑल इंडिया शिया मजलिस उलेमा ने भी राजा सिंह के बयान की निंदा की है और कहा है कि भाजपा नेता के इस बेहूदे बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मुसलमानों के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनके ये प्रयास कभी सफल नहीं होंगे।

हमारा समाज (31 अगस्त) के अनुसार गुलबर्गा में मुसलमानों की एक सभा में यह मांग की गई है कि केंद्र सरकार एक कानून बनाए, जिसके तहत पैगम्बर और इस्लाम की तौहीन करने वाले लोगों के लिए उम्रकैद की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा और संघ परिवार तेलंगाना और हैदराबाद में दंगे करवाना चाहते हैं। सभी को मिलकर इन प्रयासों को विफल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा क निलंबित

विधायक हमेशा से सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़कात रह ह, मगर उनके खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के नेताओं द्वारा पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन से संबंधित बयान की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि देश में इस्लाम और रसूल की तौहीन का जो सिलसिला दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है उसे सख्ती से रोका जाए।

सियासत (31 अगस्त) ने अपने संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि तेलंगाना में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इस तरह की हरकतें भाजपा तेलंगाना में अपनी शक्ति बढ़ाने और बहुसंख्यक समाज के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। इन प्रयासों से जनता को सतर्क रहना चाहिए।

हमारा समाज ने 26 अगस्त के संपादकीय में पैगम्बर-ए-इस्लाम के खिलाफ भाजपा विधायक के बयान की निंदा की है और इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि राजा सिंह को तत्काल अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि वहां की मुस्लिम जनता ने पुलिस की ढिलाई के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और सड़कों पर उतर आई थी, इसलिए सरकार को राजा सिंह को पी.डी. एक्ट के तहत गिरफ्तार करना पड़ा।

सालार (29 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राजा सिंह और उनके जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों में भय का वातावरण पैदा करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। मुसलमानों की जागरूकता के कारण पुलिस को उन्हें फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना पड़ा, मगर इसके साथ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग जानबूझकर खुलेआम 'सिर तन से जुदा' के नारे भी लगाते हैं। क्या मुसलमानों के इन नारों को देश की वर्तमान हालात में सही ठहराया जा सकता है? देशवासियों को यह याद रखना चाहिए कि भारत में शरा की हुकूमत नहीं है, इसलिए 'सिर तन से जुदा' की मांग करना उचित नहीं है। इस तरह के नारे तभी जायज ठहराए जा सकते हैं जब सरकार गुस्ताख-ए-रसूल को सजा न दे।

अवधनामा (24 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा ने गुस्ताख-ए-रसूल राजा सिंह को पार्टी को सदस्यता से निलंबित कर दिया है, मगर सवाल यह है कि यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है। मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के इस अभियान को भाजपा का हाईकमान सख्ती से राकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाता? जरूरत इस बात की है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है उसको रोका जाए।

बिलकिस बानो बलात्कार कांड के आरोपियों की रिहाई से मचा बवाल

रोजनामा सहारा (16 अगस्त) के अनुसार गुजरात में गोधरा कांड के बाद बिलकिस बानो बलात्कार कांड में उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने 'क्षमा नीति' के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी थी। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिलकिस बानो के सामुहिक बलात्कार और उसके परिवार के दस व्यक्तियों की हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा। सरकार का कहना है कि आरोपियों ने

क्योंकि 15 वर्ष से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए उनकी शेष सजा को माफ करने के मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसने इस मामले पर बारिकी से विचार करने के बाद सभी 11 आरोपियों की शेष कैद को माफ करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

रोजनामा सहारा (17 अगस्त) में यह दावा किया गया है कि हालांकि केंद्र और राज्य दोनों स्थानों पर भाजपा की सरकारें हैं, मगर इसके बावजूद इन आरोपियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। कहा जाता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र ने जिन कैदियों की शेष कैद को माफ करने के निर्देश दिए थे, उनमें बलात्कार के आरोपी शामिल नहीं थे, इसलिए तकनीकी तौर पर बिलकिस बानो बलात्कार कांड के आरोपियों की रिहाई इन दिशा-निर्देशों के तहत नहीं हुई। समाचारपत्र ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जब इन आरोपियों को जेल से रिहा किया गया तो उनका स्वागत किया गया।

सियासत (18 अगस्त) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इस केस के आरोपियों को रिहा किए जाने की निंदा की है और कहा है कि उन्हें गुजरात सरकार की भूमिका से निराशा हुई है और यह फैसला एक विशेष वर्ग के वोट बटोरने के लिए किया गया है। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. इजीनियर सलीम ने कहा है कि इस फैसले ने भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव हिला दी है।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष नावेद हामिद ने गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों में बलात्कार के आरोपियों की जेल से रिहाई के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि इस फैसले से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और यह भाजपा की महिलाओं के बारे में असली चेहर को भी बेनकाब करता है, इसलिए गुजरात सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामुहिक बलात्कार कांड एवं हत्यारों को जेल से रिहा करने की निंदा की है और कहा है कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में इस फर्क को पूरा देश देख रहा है। इससे पूर्व कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने इस हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई के बाद उनके स्वागत की निंदा की थी और कहा था कि गुजरात सरकार का यह फैसला गैरकानूनी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, फिर सभी को किस आधार पर रिहा किया गया। यह फैसला न्यायपालिका का नहीं बल्कि कार्यपालिका और सरकार का है। एक राज्य सरकार किसी ऐसे मामले मं कोई फैसला कैसे ले सकती है, जब उसकी जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने की हो और आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने ही सजा दी हो?

सालार (25 अगस्त) ने अपने संपादकीय में बिलकिस बानो केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा देने वाले न्यायमूर्ति यू.डी. साल्वी

ने राज्य सरकार द्वारा इस केस के आरोपियों की शेष कैद को माफ करने और उन्हें रिहा करने के फैसले को गलत उदाहरण और नाइंसाफी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केस की सुनवाई गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में की गई थी। न्यायमूर्ति साल्वी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि उन्होंने काफी बारिकी से जांच करने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, क्योंकि सत्र न्यायाधीश ने यह सजा ठोस सबूतों के आधार पर सुनाई थी। आरोपियों को माफ करने की यह नीति गलत उदाहरण और देश की न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। देश को न्याय व्यवस्था के तहत आरोपियों की सजा को माफ करने की एक तयशुदा पद्धति है, जिसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 432 से 435 तक है। इसके तहत गुजरात सरकार सजा माफ कर सकती थी, मगर इन धाराओं के तहत यह कार्रवाई नहीं की गई। न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा कि इस केस की जांच क्योंकि सीबीआइ ने की थी इसलिए केंद्र सरकार की राय पर भी विचार किया जाना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं कि केंद्र सरकार ने माफी के संबंध में क्या राय दी थी? ऐसा प्रतीत होता है कि तयशुदा नियमों का उल्लंघन किया गया है। 2014 की नई नीति के तहत बलात्कार और आतंकवाद जैसे आरोपियों की सजा में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसलिए मैं गुजरात सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मुंबइ उर्दू न्यूज (18 अगस्त) ने इस बात पर जोर दिया है कि गुजरात सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों को 10 जून को भेजे पत्र में यह सलाह दी थो कि यदि राज्य सरकार चाहें तो वे उन सजा पाने वाले कैदियों की शेष कैद को माफ करके जेल से रिहा कर सकती हैं, जिन्होंने अपनी सजा की अवधि का 50 प्रतिशत भाग या उससे अधिक का समय जेल में बीता लिया हो। इसके साथ ही इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है या जिनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया है, जो बलात्कार, बच्चों के यौन शोषण के आरोपी हैं या जो लोग दहेज के मामले में कुसूरवार करार दिए गए हैं या जो लोग पोटा, फेमा, एनडीपीएस के मामले में अपराधी करार दिए गए हैं, ऐसे लोगों की शेष कैद को माफ नहीं किया जा सकता। जबकि गुजरात सरकार ने जिन 11 आरोपियों की शेष कैद को माफ किया है, उनमें से सिर्फ राधेश्याम शाह ने ही सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें गुजरात सरकार से उन्होंने शेष कैद को माफ करके रिहा करने का अनुरोध किया था। इसी याचिका का लाभ राज्य सरकार ने सभी 11 आरोपियों को दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अगस्त) न अपने संपादकीय में बिलकिस बानो बलात्कार कांड के आरोपियों को जेल से रिहा करने और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उनकी शेष कैद को माफ करने को बेहद घटिया तोहफा करार दिया है और कहा है कि इस भयानक मुकदमे के आरोपियां को रिहा करने के बाद देश और विदेश में जो हंगामा मचा है, वह सरासर जायज है। यहां तक कि इस मुकदम की सजा देने वाले न्यायाधीश ने भी राज्य सरकार के इस फैसले की निंदा की है। समाचारपत्र ने गुजरात सरकार से मांग की है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे। देश के कई प्रमुख लोगों ने भी इस फैसले को रद्द करने पर जोर दिया है।

इत्तेमाद (17 अगस्त) के अनुसार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य विधान सभा के

आने वाले चुनाव को देखते हुए किया है। इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस फैसले से मुसलमानों को गलत संदेश दिया गया है और उन्हं यह अहसास कराया गया है कि इस न्याय व्यवस्था में उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता।

इंकलाब (21 अगस्त) ने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'बिलकिस बानो के पक्ष में विश्व स्तर पर आवाज बुलंद'। समाचारपत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने आरोपियों को रिहा करने को न्याय व्यवस्था के साथ मजाक की संज्ञा दी है। आयोग के अध्यक्ष स्टीफन श्नेक ने अपने बयान में कहा है कि आरोपियों की रिहाई इंसाफ नहीं बल्कि उन्हें सजा से बचाने की कोशिश है। भारतीय न्याय तंत्र ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया था। लेकिन उनकी रिहाई का फैसला स्वाभाविक न्याय के बुनियादी मूल्यों के भी खिलाफ है।

इत्तेमाद (28 अगस्त) के अनुसार देश के 134 पूर्व नौकरशाहों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधोश को एक संयुक्त पत्र भेजकर बिलकिस बानो बलात्कार कांड के 11 आरोपियों को रिहा करने का विरोध किया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस गलत फैसले में सुधार किया जाए और आरोपियों को शेष कैद काटने के लिए पुनः जेल भेजा जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे रद्द करने की मांग की है।

उर्दू अखबारों की ओर से इस फैसले को रद्द करवाने के लिए बकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निरंतर समाचार, संपादकीय एवं लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं।

हमारा समाज ने 20 अगस्त के संपादकीय में बलात्कारियों की रिहाई के निर्णय की घोर निंदा की है और कहा है कि यह देश की न्याय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है और देश के इतिहास की न्याय व्यवस्था में एक शर्मनाक अध्याय शामिल किया जा रहा है।

हमारा समाज (24 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुजरात सरकार के इस फैसले से न्यायपालिका और देश की न्याय व्यवस्था के सम्मान को गहरा आघात लगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गुजरात सरकार से मांग की है कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। जिस प्रकार से देश भर में इस फैसले का विरोध हो रहा है, उसे राज्य सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव को मनाने का मामला उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है। पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी थी, मगर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की अपील पर इस पर रोक लगा दी। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अभी के लिए ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सकता, मगर उसके मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है तो इसके लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में तर्क पेश किए जा सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में एक बड़ी बात कही है कि ईदगाह वाली भूमि को लेकर भूमि का कोई विवाद

नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने यह तर्क दिया था कि यह भूमि विवादित है, मगर उच्च न्यायालय ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील विचाराधीन है। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार की ओर से ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की मंजूरी दिए जाने के कारण विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश होने वाले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि राज्य सरकार ने इस मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अंतरिम आदेश के बारे में क्योंकि दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद था, इसलिए यह मामला तीन न्यायाधीशों के हवाले किया गया। इससे पूर्व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया था कि राज्य सरकार के इस फैसले से धार्मिक तनाव पैदा होगा। 25 अगस्त को कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि इस भूमि का इस्तेमाल सिर्फ खेल के मैदान के तौर पर या सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए किया जा सकता है। जहां तक मुसलमानों का संबंध है वे दोनों ईद के मौके पर यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। बाद में एक और खंडपीठ ने सरकार को इस बात का अधिकार दे दिया कि वह इस भूखंड के संबंध में फैसला कर सकती है। बाद में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक निर्धारित अवधि के लिए इस भूमि का धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी थी। ईदगाह मैदान के आसपास गृह विभाग ने कड़ी शांति व्यवस्था की थी। जबकि हुबली–धारवाड में विवादित मैदान में तीन दिन के लिए गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी गई।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 अगस्त) के अनुसार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के विवाद को लेकर दो संप्रदायों के बीच तनाव

उत्पन्न हो गया है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने यह दावा किया था कि यह जमीन राजस्व विभाग की है। जबकि दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड ने इस मैदान को ईदगाह मदान बताया है और कहा है कि यह वक्फ बोर्ड का है। इस विवाद में कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने विवादित मैदान का दौरा करने के बाद कहा था कि इस मैदान में गणतंत्र दिवस मनाने के अलावा गणेश उत्सव जैसे कोई अन्य कार्यक्रम मनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसका विरोध विश्व सनातन परिषद ने किया था। विश्व सनातन परिषद के अध्यक्ष भास्करन के इस बयान का नोटिस लेते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

सालार (8 अगस्त) ने अपने संपादकीय में ईदगाह से संबंधित मैदान की चर्चा करते हुए कहा है कि बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह मैदान की मिल्कियत को लेकर बेंगलुरु महानगरपालिका ने इस पर अपनी स्वामित्व का दावा किया था और उसे खेल का मैदान बताकर कई अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी थी। फिर अचानक नगर महापालिका ने इस ईदगाह मैदान से अपने दावे को वापस ले लिया और उसे राजस्व विभाग की संपत्ति करार देकर एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि इस मैदान का असली मालिक वक्फ बोर्ड है जो इसके बारे में 1956 से अदालतों में मुकदमा लड़ रहा है। भाजपा की वर्तमान सरकार ने फिर से इस मामले पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की और वक्फ बोर्ड से दस्तावेज मांगे। अगर वक्फ बोर्ड की ओर से दी जाने वाले दस्तावेज असंतोषजनक थी तो महानगरपालिका को चाहिए था कि वह इस भूमि को अपना मिल्कियत बताती और वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर देती। मगर महानगरपालिका ने इसे राजस्व विभाग की संपत्ति बता दिया। हालांकि हकीकत यह है कि इस ईदगाह मैदान के केस में गत 65 वर्ष के अदालती विवाद के इतिहास में राजस्व विभाग ने कभी कोई अपना दावा पेश नहीं किया। अचानक बेंगलुरु महानगरपालिका ने जो नया रूख अपनाया है उससे साफ है कि इस विवाद को भाजपा जानबूझकर नया रंग द रहो है। इसलिए अदालत में इसका मुकदमा पूरी गंभीरता से लड़ा जाना चाहिए।

अल–जवाहिरी की मौत का दावा

सालार (3 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक विशेष संबोधन के दौरान यह घोषणा की ह कि अल–कायदा के प्रमुख अयमान अल–जवाहिरी को अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 9/11 में मरने वाले मासूम अमेरिकियों को हम कभी नहीं भूल सकते। अल–जवाहिरी का सफाया इस बात को साबित करता है कि हम अपने वायदे पर कायम हैं। अल–जवाहिरी के साथ इंसाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि अल–जवाहिरी नैरोबी से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका की जनता, उसके राजनयिक और फौजियों को निशाना बनाने की योजना में शामिल रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गत सप्ताह उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर विशेष ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और इस बात को सुनिश्चित किया था कि अल–जवाहिरी और उसके परिवारजनों के अतिरिक्त किसी भी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी बल की इस योजना को काफी सोच–विचार के बाद मंजूरी दी गई थी और इस संबंध में अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों को भी विश्वास में लिया गया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालते समय हमलोगों ने यह वायदा किया था कि हम अफगानिस्तान को आतंकवादियों का शरणस्थल नहीं बनने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन के लिए गुप्तचर विभाग और आतंकवाद विरोधी बल की सेवाओं की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि पिछले महोने हमने इस्लामिक स्टेट के एक प्रमुख नेता का भी सफाया किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी यह समझ लें कि अगर वे अमेरिका की जनता और उनके हितों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वे जितना भी छिप लें उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम हर वह प्रयास करेंगे, जिससे अमेरिकी नागरिक देश आर दुनिया भर में सुरक्षित रह सकें।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 अगस्त) ने यह दावा किया है कि अयमान अल–जवाहिरी को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले द्वारा काबुल में अपना निशाना

बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे के बाद तालिबान सरकार के उप सूचना मंत्रो और प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्विट में अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा करते हुए उसे 'दोहा शांति संधि' के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश में हमला करना अंतरराष्ट्रीय नियमों और उस देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। दूसरी ओर, अमेरिकी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि अल-जवाहिरी अपने परिवार सहित काबुल के सुरक्षित आवास में मौजूद था और यह दोहा में हुए शांति समझौते का खुला उल्लंघन है। इस समझौते में यह तय किया गया था कि अल-कायदा सहित किसी भी आतंकवादी संगठन के नेता को अफगानिस्तान में सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इस समझौते के बावजूद अल-जवाहिरी की मौजूदगी में तालिबान सरकार ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। अमेरिकी गुप्तचर सूत्रों ने उसके ठिकाने का पता लगाया और कार्रवाई की। ड्रोन हमले में दो मिसाइल गिराए गए और अल-कायदा प्रमुख के मारे जाने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने उसके परिवारजनों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया।

सियासत (5 अगस्त) ने यह दावा किया है कि अमेरिकी जासूसों को इस बात की जानकारी थी कि अल-कायदा प्रमुख पहले पाकिस्तान के कराची नगर में था। इसके बाद उसके और उसके परिवारजनों को काबुल में शरण दी गई। वह काबुल में शेरपुर नामक क्षेत्र में तोन मंजिला कोठी में रह रहा था, जिसमें सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही जाने की अनुमति होती थी। गौरतलब है कि यही तरीका अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने एब्टाबाद में अपने निवास के दौरान अपनाया था, मगर अमेरिकी जासूस उसे तलाश करते-करते वहां पहुंच गए और 2011 में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 71 वर्षीय अयमान अल-जवाहिरी कभी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर नहीं गया, मगर गत दिनों वह अपने बंगले की बालकनी में नजर आया था। इसके बाद अमेरिका ने सैटेलाइट द्वारा उसकी निगरानी की और सीआईए ने उसके सफाए की योजना तैयार की।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अगस्त) के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात की पुष्टि की है कि अयमान अल-जवाहिरी को हत्या की जांच की जा रही है। अल अरेबिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अल-कायदा प्रमुख की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है।

इससे पूर्व इसी समाचारपत्र ने (11 अगस्त) को यह दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल-जवाहिरी की हत्या का जो दावा किया है, उसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। समाचारपत्र ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अयमान अल-जवाहिरी अफगानिस्तान में है और न ही ड्रोन हमले में उसके मरने की ही कोई सूचना है। गौरतलब है कि 2011 में ओसामा बिन लादने के मारे जाने के बाद अल-जवाहिरी ने अल-कायदा की कमान संभाली थी। अल-जवाहिरी की

गिरफ्तारी में मदद करने पर अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा कर रखी थी।

सियासत (4 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने विश्व भर में अपने नागरिकों को सचेत किया है कि अल-जवाहिरी के मारे जाने की प्रतिक्रिया में अल-कायदा अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ विश्वभर में आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है।

सियासत (6 अगस्त) के अनुसार एफबीआई ने दावा किया है कि अल-जवाहिरी की हत्या के बावजूद अल-कायदा अमेरिका पर हमलों की नई ृंखला शुरू कर सकता है और वह पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है।

इत्तेमाद ने 4 अगस्त के संपादकीय में यह स्वीकार किया है कि अल-जवाहिरी की मौत से अल-कायदा को जबर्दस्त नुकसान पहुंचा है। अल-जवाहिरी पेशे से डॉक्टर था और उसके दादा मिस की विख्यात सुन्नी विश्वविद्यालय अल-अजहर के इमाम थे। उसक एक चाचा अरब लीग के महासचिव भी रह चुके हैं। अल-जवाहिरी का संबंध पहले मिस्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड़ से था। वह आंखों का डॉक्टर था और उसने मिस्र में 'इस्लामिक जिहाद' नामक संगठन की नींव रखी थी।

सियासत (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि अल-जवाहिरी का अंजाम भी ओसामा बिन लादेन जैसा हुआ है। उसका जन्म 19 जून 1951 को काहिरा में हुआ था और वह मिस्र के कट्टरवादी इस्लामिक विचारक सैयद कुतुब की शिक्षाओं से प्रभावित था। उसका लक्ष्य गुमराह अरब सरकारों को इस्लामिक हुकूमतों में बदलना था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में अल-जवाहिरी ने ओसामा बिन लादेन के दाहिने हाथ के रूप में काम किया था, जिसमें 3 हजार से अधिक लोग मारे गए थे। 2011 में उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें मुसलमान युवकों से अपील की गई है कि वे विश्व भर में अमेरिका के वर्चस्व का डटकर विरोध करें। अल-कायदा की हिंसक गतिविधियां का खाका बनाने का श्रेय भी अल-जवाहिरी को दिया जाता है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के घर पर छापा

मुंबई उर्दू न्यूज (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआई) ने गुप्त परमाणु फाइलों की तलाश में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के घर पर छापा मारा। हालांकि एफबीआई ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसे इस छापे में क्या उपलब्धि मिली है, मगर जानकार सूत्रों का कहना है कि इस जांच एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रम्प के फ्लोरिडा बीच वाले घर पर छापा मारा था और वहां से एक आलमारी को भी तोड़ा गया तथा उससे दस डिब्बे भी बरामद किए गए, जिनमें संवेदनशील सामग्री होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जब यह छापा मारा गया तो डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा में नहीं थे। एफबीआई द्वारा मारे गए इस छापे का लक्ष्य इस बात की जांच करना था कि जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ते समय ट्रम्प अपने साथ कुछ गुप्त दस्तावेज अवैध रूप से अपने साथ तो नहीं ले गए थे? अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मरिक गारलैंड ने इस बात की पुष्टि को है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के घर पर छापा मारने और वहां तलाशी लेने की अनुमति दी थी। अमेरिकी इतिहास में पहली बार अटॉर्नी जनरल ने इस छापे की पुष्टि की है।

इत्तेमाद (10 अगस्त) के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ने अपने बयान में इस छापे को बदले की कार्रवाई बताया है और यह दावा किया है कि

2024 में क्योंकि वे तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लडने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनकी छवि को धुमिल करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया है और कहा है कि उन्होंने हमेशा जांच एजेंसियों से सहयोग किया है, इसलिए उनके निवास स्थान पर छापा मारना गैर जरूरी था। यह इंसाफ की व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है, ताकि वे पुनः राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ सकें।

कौमी तंजीम (11 अगस्त) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि ट्रम्प सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। वे अमेरिकी संसद में अपने समर्थकों को विपक्षियों पर हमले करने के लिए तैयार करते थे और वे अपने साथ संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को भी राष्ट्रपति भवन छोडते समय साथ ले गए। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सभी दस्तावेजों और पत्रों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के हवाले करे, मगर ट्रम्प ने कई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को फाड़ दिया था और कई गुप्त दस्तावेजों को अपने साथ भी ले गए थे। फरवरी में राष्ट्रीय अभिलेखागार नामक अमेरिकी एजेंसी, जो राष्ट्रपति से संबंधित रिकॉर्ड का संरक्षण करती है, ने न्याय विभाग को यह निर्देश दिया था कि वह इस बात की जांच करे कि क्या ट्रम्प अपने साथ गुप्त दस्तावेजों को तो नहीं ले गए थे? न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार मैगी हैबरमैन का दावा है कि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को वहां पर कुछ फटे हुए दस्तावेज मिल थे। उनका कहना था कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ही ऐसी हरकत करते हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प और उनके साथियों ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में इस सूबे के चुनावी नतीजों में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं किया था?

इंकलाब (25 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस बात की पुष्टि की है कि एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के घर पर छापा मारकर जो दस्तावेज बरामद किया था, उनमें 700 गोपनीय दस्तावेज भी शामिल हैं। इनमें से कुछ बहुत संवेदनशील हैं, जिनकी संख्या 100 से अधिक बताई जाती है।

इंकलाब (24 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने आवास में छापा मार जाने के बाद अमेरिका के न्याय विभाग पर मुकदमा दायर किया है और अदालत से मांग की है कि एफबीआई को उनके घर से बरामद होने वाली दस्तावेजों की जांच करने से राका जाए और यह जांच किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ की निगरानी में की जाए।

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के न्याय विभाग ने छापे के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के घर से जब्त किए गए तीन पासपोर्ट वापस कर दिए गए हैं, जिनमें से दो की अवधि समाप्त हो चुकी है और एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है।

अमेरिका में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला

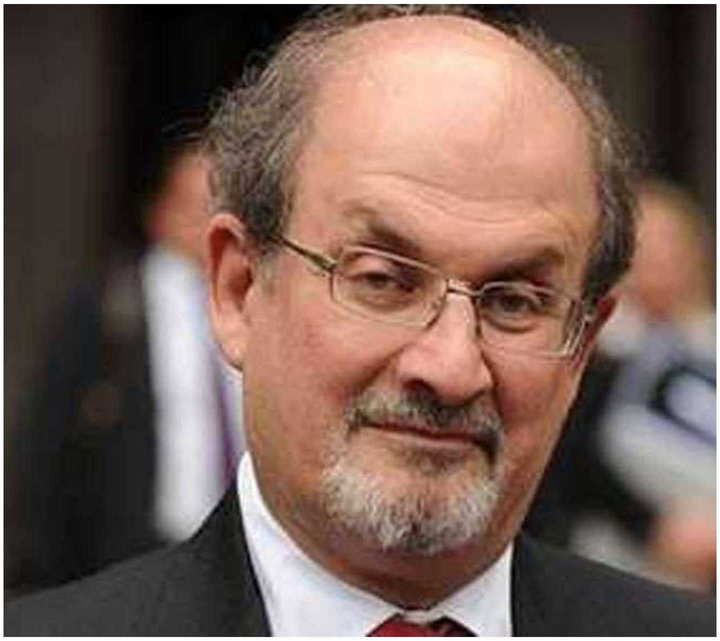

इत्तेमाद (13 अगस्त) के अनुसार कुख्यात रसूल निंदक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसके कारण उनकी गर्दन पर कई जख्म आए हैं और उनकी सर्जरी की गई है। उन्हें घायलावस्था में हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया जहां वे वेंटिलेटर पर हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हं। गौरतलब है कि सलमान रुश्दी मुंबई में पैदा होने वाले एक ब्रिटिश लेखक हैं। उन्होंने 'द सैटेनिक वर्सेज' नामक एक उपन्यास लिखा था, जिसमें कथित तौर पर रसूल पर किए गए हमलों के कारण अनेक कट्टरपंथी इस्लामिक चिंतक रुश्दी को वाजिब-ए-कत्ल करार दे चुके हैं। उन्हें एक अन्य उपन्यास 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन' के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। 1988 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहोल्लाह खोमैनी ने सैटनिक वर्सेज के लिए सलमान रुश्दी को रसूल की तौहीन का दोषी करार देते हुए उनकी हत्या के लिए फतवा जारी किया था। इसके बाद उनके खिलाफ कई इस्लामिक विद्वानों ने वाजिब-ए-कत्ल के फतवे जारी किए। तब से रुश्दी अपनी जान बचाने के लिए छिपकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने यह दावा किया है कि रुश्दी पर उस समय हमला किया गया जब वे भाषण देने वाले थे। इसके बाद वे गिर पड़े और उनके शरीर के कई अंगों से खून बहने लगा। आक्रमणकारी को पकड़ लिया गया है। यह घटना पश्चिमी न्यूयॉर्क में स्थित एक संस्थान में घटी। दिन के 11 बजे अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति मंच पर चढ़ा और उसने सलमान रुश्दी और उनका इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया। इंटरव्यू लेने वाले के सिर पर मामूली जख्म आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सलमान रुश्दी पर 20 सेकेंड में 10-15 बार वार किए गए। आक्रमणकारी ने काले कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को काले मास्क से ढक रखा था। उस समय हॉल में ढ़ाई हजार लोग उपस्थित थे। स्थानीय सुरक्षाकर्मी न तुरंत आक्रमणकारी को पकड लिया।

गौरतलब है कि सलमान रुश्दी की विवादित उपन्यास 'द सैटनिक वर्सेज' 1988 में प्रकाशित हुआ था। इसके खिलाफ उनकी हत्या का फतवा जारी किया गया। ईरान ने सलमान रुश्दी की हत्या करने वाले को 30 लाख डॉलर ईनाम देने की घोषणा कर रखो है। रुश्दी इससे पहले भी कई बार इस हॉल में भाषण दे चुके हैं। अभी यह साफ नहीं है कि हमला करने वाले का संबंध ईरान के किसी संगठन से है या नहीं? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रुश्दी गत 20 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। 2007 में ब्रिटेन की मल्लिका एलिजाबेथ ने उन्हें सर की उपाधि से

नवाजा था। 2012 में एक अर्द्ध सरकारी ईरानी संगठन ने रुश्दी की हत्या करने वाले को 50 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की। कहा जाता है कि इस उपन्यास में उन्होंने रसूल की तौहीन की है। विश्व भर में इस पुस्तक के प्रकाशक और उसके अनुवाद करने वाले अनेक लोगों पर हमले किए गए और कई लोगों की हत्या की गई। इस पुस्तक के खिलाफ इस्लामिक जगत के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुंबई में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने वाले 12 लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बने थे।

सियासत (14 अगस्त) के अनुसार विवादित अंग्रेजी लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयांर्क में उस समय हमला हुआ जब मंच पर उनका श्रोताओं से परिचय करवाया जा रहा था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अभी तक वे बोलने योग्य नहीं हुए हैं। उनकी एक आंख खराब हो गई है और हाथ की नसें कटी हुई थीं। पेट पर चाकू से हुए हमले के कारण उनका से उनके यकृत और हृदय को भी काफी क्षति पहुंची है। इस समारोह में भाग लेने वाली एक महिला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि आक्रमणकारी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बावजूद भी रुश्दी पर हमले करने की कोशिश करता रहा और 5 लोग भी उसको निर्यंत्रित करने में विफल रहे। पुलिस के अनुसार आक्रमणकारी का नाम हादी मतार है और वह अमेरिका के न्यू जर्सी का रहने वाला है। उसने कैलिफोर्निया में शिक्षा प्राप्त की थी। अभी तक पुलिस इस बात का सुराग नहीं लगा सकी कि आक्रमणकारी का संबंध किस जिहादी संगठन से है।

इंकलाब (20 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी न्यायालय ने सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। आरोपी ने अदालत में अपना गुनाह स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार ईरान सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि सलमान रुश्दी पर हुए हमले में उसका किसी तरह का हाथ है। ताजा समाचारों के अनुसार रुश्दी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और अब वे वेंटिलेटर पर नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इस मामले में ईरान का कोई भी हाथ नहीं है। आज दुनिया भर में रुश्दी के खिलाफ जो वातावरण बना है उसके लिए वे स्वयं और उनके समर्थक जिम्मेवार हैं।

फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की मंजूरी

हमारा समाज (6 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के उच्च सदन सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को अमेरिका द्वारा प्रायोजित सैनिक संगठन नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें तीस देश शामिल हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में फिनलैंड और स्वीडन ने यह कदम उठाया है। इन दोनों देशों ने इस वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिए थे। उन्हें इस संधि में शामिल करने का विरोध

तुर्की और कुछ अन्य देशों ने किया था और यह आरोप लगाया था कि इन देशों में इस्लाम विरोधी लोगों को शरण दी जाती है। अब अमेरिकी सीनेट के इस प्रस्ताव की पुष्टि नाटो में शामिल तमाम देशों की संसदों को करनी होगी जो एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें लगभग एक वर्ष लग जाता है। कनाडा, जर्मनी और इटली जैसे अनेक दशों की संसद इन दोनों देशों को नाटो संधि में शामिल करने की पुष्टि कर चुकी है और इन देशों के शामिल होने से नाटो और ज्यादा मजबूत होगी।

मुहर्रम के जुलूस पर सुन्नियों का हमला

रोजनामा सहारा (7 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया बहुल क्षेत्र में मोहर्रम के मातमी जुलूस पर सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हमला करके लगभग एक दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दो दर्जनों लोग घायल हो गए। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। तालिबान सरकार के उपसूचना मंत्री ने कहा कि जुलूस में एक ठेले पर रखे हुए ताजिये में विस्फोटक पदार्थ रखा गया था, जिसमें धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि अमीरात-ए-इस्लामिया अफगानिस्तान इस बुजदिल कार्रवाई की निंदा करती है। य हरकतें उन लोगों की हैं जो दीन और इस्लाम के दुश्मन हैं।

काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा कि यह धमाका उस समय हुआ जब शिया ताजियों का जुलूस निकालकर मातम मना रहे थे। उन्होंने कहा कि सब्जियों वाले एक ठेले में भी कुछ बम रखे हुए थे। यहां से स्थानीय लोग खाने-पीने का सामान खरीदते थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने बेगुनाह मुसलमानों के खून से होली खेली है। हम आक्रमणकारियों का सुराग लगाकर ही दम लेंगे। सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि यह धमाका उनके फिदाइनों ने किया है। शियाओं के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। इस हमले में कम-से-कम दो दर्जन लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (19 अगस्त) के अनुसार काबुल की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम-से-कम 30 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में अफगानिस्तान के बड़े विद्वान अमीर मोहम्मद काबुली भी शामिल हैं। अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने इस धमाके की जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की है। तालिबान का दावा है कि इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ है। इससे पूर्व दो सप्ताह के अंदर काबुल में हुए धमाके में कम-से-कम दस लोग मारे गए थे और तीन दर्जन घायल हुए थे। इन धमाकों की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी।

तुर्की द्वारा इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा

रोजनामा सहारा (19 अगस्त) के अनुसार तुर्की ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। दोनों देश अपनी राजधानियों में राजदूत दर्जे के अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। गौरतलब है कि चार वर्ष पूर्व इजरायली सेना की ओर से 60 फिलिस्तीनियों की हत्या के बाद तुर्की ने इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए थे और अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इसके बाद इजरायल ने भी तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति मार्च में तुर्की का दौरा करेंगे। अमेरिका ने इन दोनों देशों में राजनयिक संबंध पुनः स्थापित होने का स्वागत किया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजरायल के राष्ट्रपति के तुर्की दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जानकार सूत्र इसे अमेरिका की राजनीतिक सफलता की संज्ञा देत हैं। तुर्की की इस नई करवट से इस बात का संकेत मिलता है कि तुर्की अब रूस का दामन झटककर पुनः अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अमेरिका के प्रयासों से इजरायल के राजनयिक संबंध सात मुस्लिम राष्ट्रों से स्थापित हा चुके हैं। इनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, बहरीन, दुबई, मोरक्को, जॉर्डन और मिस्र शामिल हैं। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, मगर अभो तक इन दोनों देशों ने विधिवत राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा नहीं की है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच एक दर्जन से अधिक संधियां हो चुकी हैं, जिसमें व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देना शामिल है।

सूडान में सैनिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार सूडान की राजधानी खार्तूम में सैनिक प्रशासन के खात्मे के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता ने इस बात की मांग की है कि सूडान के विभिन्न कबीलों के बीच जो खूनी जंग चल रही है उसे फोरन बंद किया जाए। इन झड़पों में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी सैनिक तानाशाह अब्दुल फतह अल-बुरहान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने नागरिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सेना द्वारा कड़ी कार्रवाई के बावजूद गत एक वर्ष से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी सेना से यह मांग कर रहे हैं कि सत्ता को नागरिकों के हवाले किया जाए और सेना वापस अपने बैरकों में जाए। गत वर्ष सैनिक विद्रोह के बाद सूडान भोषण आर्थिक संकट का शिकार है, जिसके कारण उसके विभिन्न क्षेत्रों में कबीलों के बीच खूनी संघर्ष दिन-प्रतिदिन तेज हो रहा है, जिसमें कम से कम 500 लोग मारे जा चुके हैं। ■

ईरान में जासूसी के आरोप में बहाई गिरफ्तार

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार ईरान की गुप्तचर विभाग ने कई दर्जन बहाईयों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों का संबंध इजरायल के बहाई केंद्र से है। यहां इस ग्रुप का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। कहा जाता है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने ईरान से संबंधित गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करके इजरायल भेजी थी। गौरतलब है कि इराक में 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका के संकेत पर बहाउल्लाह नामक एक इस्लामिक विद्वान ने बहाई मत की स्थापना की थी। ईरान में इस्लामिक क्रांति आने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ने बहाउल्लाह और उनके अनेक साथियों को फांसी की सजा दी। इसके बाद अधिकांश बहाई मत के अनुयाई भागकर इजरायल और अन्य समर्थक देशों में चले गए। भारत में भी बहाई मत काफी सशक्त केंद्र के रूप में मौजूद है। दक्षिणी दिल्ली में लोटस टेंपल बहाई मत ने ही स्थापित किया है, जो एक दर्शनीय स्थल है। ■

सऊदी अरब और यूएई को आधुनिक मिसाइल रोधी तंत्र की बिक्री

रोजनामा सहारा (4 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को मिसाइल निरोधक वायु रक्षा तंत्र बेचने की घोषणा की है। अमेरिकी सैनिक मुख्यालय पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात को मिसाइल निरोधक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल निरोधी सिस्टम अलग-अलग समझौतों में बेचने का फैसला किया है। ये दोनों समझौते 5.3 बिलियन डॉलर के हैं। सऊदी अरब को तीन बिलियिन डॉलर के मूल्य के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ सपोर्ट सिस्टम स्पेयर और तकनीकी सहयोग बेचा जाएगा। जबकि संयुक्त अरब अमीरात को सवा दो बिलियन डॉलर के मूल्य के 96 मिसाइल निरोधक डिफेंस सिस्टम और उसके सहयोगी तंत्रों को अतिरिक्त पुर्जों और तकनीकी सहायता के साथ बेचा जाएगा। सऊदी

चुका है, जिनके हमले से रक्षा के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को अत्याधुनिक रक्षा तंत्र उपलब्ध कराए। संवाद समिति एएफपी के अनुसार सऊदी अरब ने 300 पैट्रियट एमआईएम मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया है। इस रक्षा व्यवस्था से आने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ हमला करने वाले लड़ाकू विमानों को वायु में ही ध्वस्त किया जा सकता है।

अरब और सुंयक्त अरब अमीरात को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बेचने की मंजूरी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने इन दोनों देशों के दौरों के दौरान दी थी। इस दौरे में सऊदी अरब पर इस बात के लिए दबाव डाला गया था कि वह तेल की कीमतें कम करे।

दैनिक इंकलाब (4 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने इन दोनों देशों को अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र इसलिए बेचने का फैसला किया है ताकि ईरान की ओर से इन दोनों देशों पर संभावित मिसाइल हमलों को रोका जा सके। राष्ट्रपति बाइडेन के दौरे के दौरान इन दोनों देशों की सरकारों से इस बात की संभावना पर भी चर्चा हुई थी कि ईरान परमाणु अस्त्रों से लैश मिसाइल विकसित कर चुका है, जिनके हमले से रक्षा के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को अत्याधुनिक रक्षा तंत्र उपलब्ध कराए।

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सौदा साढ़े तीन अरब डॉलर का है। गौरतलब है कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा हमले तेज हो रहे हैं। कहा जाता है कि ईरान द्वारा उन्हें यह रॉकेट और तकनीक उपलब्ध कराई गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह रक्षा व्यवस्था सऊदी अरब को इसलिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि यमन से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों और बिना विमान चालक विमानों के हमलों को सऊदी अरब पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह किया जा सक। इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात को भी मिसाइलों को नष्ट करने वाला रक्षा तंत्र उपलब्ध करवाया गया है।

इराक में गृहयुद्ध की शुरुआत

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार इराक की राजधानी बगदाद में सेना और शियाओं के बीच हुए घमासान संघर्ष में कम-से-कम तीन दर्जन लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इराक में हिंसा उस समय भड़की जब शिया विद्वान मुक्तदा अल-सदर की ओर से स्थाई रूप से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। इस हिंसा के खिलाफ अल-सदर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बगदाद के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक धमाके हुए हैं। इनमें कितने लोग मरे इसके बारे में सरकारी एजेंसियां मौन हैं। इराकी संवाद समिति ने सुरक्षा सैनिकों के हवाले से बताया है कि ग्रीन जोन की ओर से चार मिसाइल दागे गए। इनमें से एक मिसाइल एक आवासीय परिसर में गिरा, जिसमें कई लोग मारे गए। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इराकी सुरक्षा

सैनिकों ने शिया विद्वान के समर्थकों को रिपब्लिकन पैलेस, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है को आसपास से चुन-चुनकर निकाल दिया है। नजफ में शिया विद्वानों से अनुरोध किया गया है कि वे इस गृहयुद्ध को टालने के लिए हस्तक्षेप करें।

बीबीसी के अनुसार इराक के कार्यकारी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सेना देश भर में कर्फ्यू को सख्ती से लागू कर रही है। मीडिया के अनुसार बगदाद में होने वाली यह सबसे भीषण हिंसा है। सेना के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि 'अमन ब्रिगेड' के कार्यकर्ताओं, अल-सदर की वफादार मिलिशिया और इराकी सैनिकां के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें रॉकेटों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इराक के साथ अपनी सभी सीमाओं को बंद कर दिया है। जबकि कुवैत ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे तत्काल इराक छोड़कर चले जाएं। बीबीसी के अनुसार डॉक्टरों न इस बात की पुष्टि की है कि सेना ने अल-सदर के 30 से अधिक समर्थकों की गोली मारकर हत्या कर दी है।

अमेरिका ने इराक के सभी राजनीतिक संगठनों से अपील की है कि वे देश में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत शुरू करें। इसके साथ ही अमेरिका ने इन समाचारों का खंडन किया है कि बगदाद में भड़की हिंसा के बाद अमेरिकी दूतावास को खाली कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें विभिन्न देशों के दूतावासों के अधिकारी दूतावासों के लिए सुरक्षित ग्रीन जोन से निकलकर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार न कहा है कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।

इंकलाब (30 अगस्त) के अनुसार शियाओं की उत्तेजक भीड़ सरकारी दफ्तरों पर जबरन कब्जा कर रही है। भीड़ ने इराक के राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है। इनमें ग्रीन जोन जैसे सबसे सुरक्षित क्षेत्र में स्थित रिपब्लिकन पैलेस भी शामिल है। भीड़ ने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। मुक्तदा अल-सदर ने एक ट्विट में कहा है कि पिछले दस महीने से इराक में कोई सरकार नहीं है, इसलिए मैंने राजनीति में भाग न लेने का फैसला किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने स्थिति में सुधार के लिए अपील की थी, पर अन्य शिया नेताओं ने कोई सहयोग नहीं दिया। ईरान ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे इराक की यात्रा न करें और वहां पर उत्पन्न अशांति के कारण इराक जाने वाली सभी उड़ाने रद्द कर दी गई हैं। ईरान सरकार इराक में फंसे हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष वायुयान बगदाद भेज रही है।

गौरतलब है कि अक्टूबर महीने में इराक में जो चुनाव हुए थे उनमें से सबसे अधिक सीटों पर अल-सदर के समर्थकों ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन वे बहुमत प्राप्त करने में विफल रहे। इसके बाद उन्होंने ईरान समर्थक शिया समूहों के साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत करने से इंकार कर दिया। इसके कारण पिछले एक वर्ष से इराक में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। 48 वर्षीय अल-सदर पिछले 20 वर्षों से इराक के जनजीवन और राजनीतिक जीवन में एक विशेष दर्जा रखते हैं। इनके समर्थक 'महदी सेना' एक सबसे ताकतवर मिलिशिया के रूप में उभरी है, जिसने पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर हमले के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका समर्थक इराकी सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। बाद में इसे 'पीस ब्रिगेड' का नाम दिया गया और इसे इराकी सेना में शामिल कर लिया गया।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल दारूल उलूम देवबंद में

हमारा समाज (12 अगस्त) के अनुसार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविख्यात सुन्नी शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कर रहे थे। उनका यह दौरा 'आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा' अभियान के सिलसिले में था। उन्होंने दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधकों से इस कार्य में सहयोग मांगा। सिद्दीकी ने दारूल उलूम देवबंद के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संगठन ने देश की आजादी में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है।

सियासत (14 अगस्त) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार दारूल उलूम के चारों केंद्रीय दरवाजों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया है। कस्बे में प्रभात फेरियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दारूल उलूम के छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

जमात–ए–इस्लामी के पूर्व अमीर का निधन

सियासत (27 अगस्त) के अनुसार विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान और जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अमीर एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन दिल्ली के जामिया नगर में स्थित अलशिफा अस्पताल में हुआ। वे भारत और पाकिस्तान के बड़े इस्लामिक विद्वान थे और 2007-2019 तक जमात-ए-इस्लामी के अमीर रहे। उनका जन्म तमिलनाडु के जिला उत्तर आर्काट के एक गांव में 1935 में हुआ था।

हैदराबादी लड़के से प्रेम पाकिस्तानी लड़की को महंगा पड़ा

सियासत (12 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के फैसलाबाद नगर की रहने वाली खदीजा नूर नामक युवती को प्यार करना काफी महंगा पड़ा। उसकी मुलाकात फेसबुक पर सैयद महमूद नामक एक युवक से हुई थी, जो सऊदी अरब के एक होटल में नौकरी करता है। दोनों प्रेमजाल में तो फंस गए, मगर उनके रिश्तेदारों को यह संबंध पसंद नहीं था। नूर ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए हैदराबाद जाने का कार्यक्रम बनाया, जिसमें महमूद ने भी सहयोग दिया। यह लड़की नेपाल पहुंची और दोनों अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गए। भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा बल को नूर के पास पाए गए प्रमाण पत्र फर्जी लगे और उसने नूर के साथ-साथ जीवन कुमार और महमूद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में तीनों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन तीनों को बिहार में सुरसंड कस्बे के समीप पकड़ा गया था।

आईएएस अधिकारी शाह फैसल प्रशासकीय सेवा में वापस

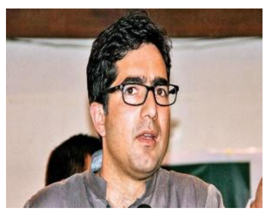

मुंबई उर्दू न्यूज (14 अगस्त) के अनुसार विवादित आईएएस अधिकारी शाह फैसल को केंद्र सरकार ने पुनः आईएएस में बहाल करके केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में उपसचिव नियुक्त किया है। गौरतलब है कि शाह फैसल 2010 बैच के आईएएस टॉपर थे, मगर जनवरी 2019 में आईएएस से त्यागपत्र देकर वे राजनीति में शामिल हो गए, मगर जब राजनीति में वे अपना करिश्मा न दिखा सके तो अगस्त 2020 में उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया। गौरतलब है कि सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट का गठन किया था। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद उन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर उन्होंने अपनी रिहाई के बाद पुनः आईएएस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

असम में देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र होने के कारण मदरसा ध्वस्त

सियासत (5 अगस्त) के अनुसार असम सरकार ने भी देशद्रोही गतिविधियों से संबंध रखने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में असम के मोरीगांव में एक मदरसा के संचालक मुफ्ती मुस्तफा की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तारी के बाद उसके मदरसे जमातुल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि मुफ्ती को बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह के साथ संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व 12 जुलाई को डिब्रुगढ़ जिला प्रशासन ने उसके एक साथी बैदुल्ला खान के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया था। इस व्यक्ति का संबंध भी बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन से पाया गया था।

RNI No. DELHIN/2017/72722

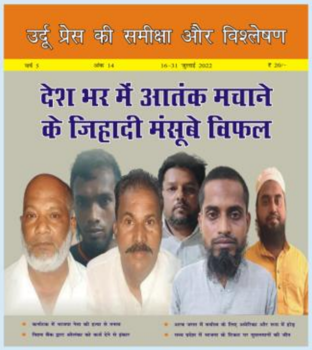

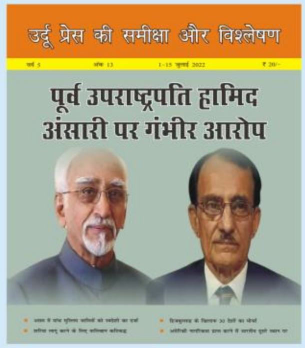

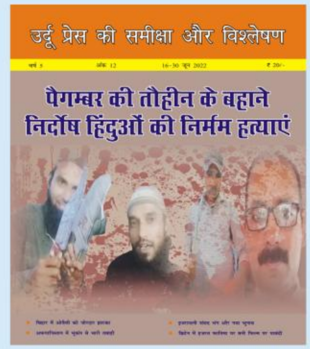

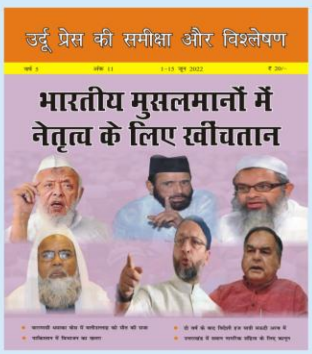

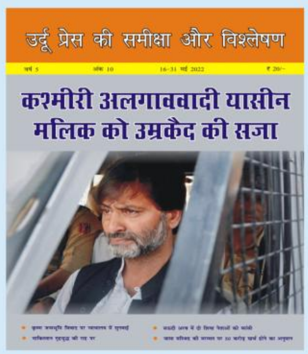

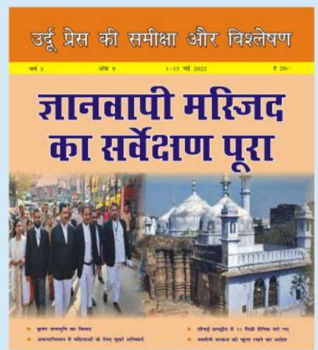

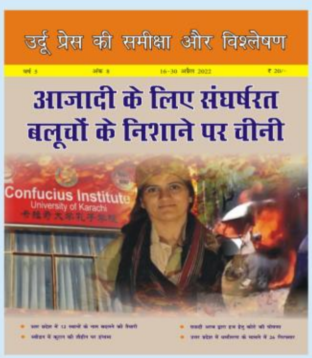

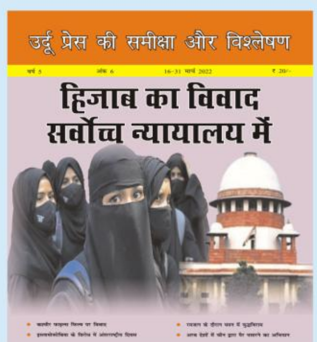

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in